न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर: 3/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मांगीलाल पिता गणेश जी शर्मा जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बलियाखेड़ा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश चन्द्र पिता गणेश जी शर्मा जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बलियाखेड़ा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मुकेश पिता जमना लालशर्मा जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बलियाखेड़ा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राकेश पिता जमना लाल शर्मा जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बलियाखेड़ा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण दूत पिता धीरु जी उर्फ धीरा जी दूत ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बलियाखेड़ा पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा भीलवाड़ा (राज.)
3. सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा जरिये प्रबन्धक जिला भीलवाड़ा
4. उप पंजीयक भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत घौषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता:

1.मांगी लाल सेन प्रार्थी अधिवक्ता

2. पैरोकार सरकार

निणर्य दिनांक 26/6/25

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन द्वारा दिनांक 04.01.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 3/2021 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त उनवान का वादपत्र प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध व अन्य के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जो काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही वादी के पक्ष में स्वीकार होगा।

प्रार्थीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है–

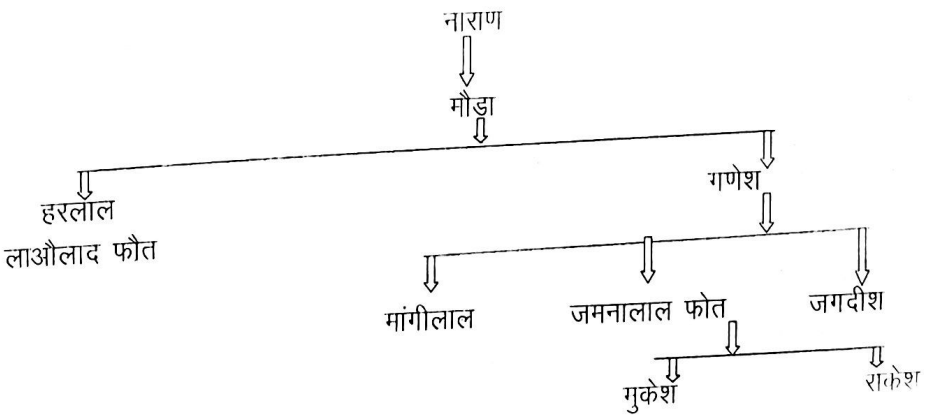

26/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्व ग्राम पुर के मजरा बलियाखेड़ा में सम्वत 1985 के साबिक बंदोबस्त की आराजी नम्बर 268, 1955/2, 1957, 1960/1, 1964/1, 5311, 5319 कुल किता 7 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा एवं नाम की कृषि भूमि वादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वज श्री मोड़ा पिता नारायण जी ब्राहम्ण के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड थी।

बाद में प्रार्थीगण के पूर्वज मोड़ा जी का देहान्त हो जाने पर उनकी विरासत से खाता हरलाल व गणेश के नाम पर खुलना चाहिए जो खुला भी होगा परन्तु भीलवाड़ा तहसील का राजस्व रेकॉर्ड सम्वत 1985 के बाद सीधे सम्वत 2009 से उपलब्ध होता है और इस अवधि में हरलाल और गणेश का देहांत हो गया और इसी नाम के ग्राम पुर मे प्रार्थीगण के अलावा एक अन्य परिवार में इन्ही नाम के दो ओर व्यक्ति थे जिनकी जमीने भी इन्ही के पास पड़ोस में स्थित थी जिनके वारीसान श्री हरलाल जी व श्री धन्ना जी के नाम पर खाता रद्दोबदल कर दिया गया और उनके देहान्त के बाद खाता श्री हीरा लाल, ललित प्रसाद पिता हरलाल एवं हेमा पिता धन्ना लाल के नाम पर रद्दोबदल कर दिया गया और चुकि अब श्री हीरा लाल जी ललित प्रसाद जी एंव हेमा जी का भी देहान्त हो गया जिनमें से श्री हीरालाल जी की विरासत से खाता विपक्षी संख्या 01 के नाम पर एंव श्री हेमा जी की विरासत से खाता विपक्षी संख्या 02 से 07 वादपत्र के अनुसार है जिनका नाम अभी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही हुआ है परन्तु व उनके वारीस होने से उनको विपक्षी संख्या 02 से 07 वादपत्र मे कायम किया गया है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 तीन में वर्णित साबिक कृषि आराजी नम्बर 268, 5311, 5319 से विपक्षी नम्बर 01 से 10 वादपत्र के अनुसार का कोई लेना देना हक अधिकार नही है न ही मौके पर इनका कब्जा है बल्कि मौके पर सदैव से आज तक निरंतर प्रार्थीगण ही इस पर काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त साबिक नम्बरों के नये नम्बर व नाम नीचे लिखे अनुसार दर्ज होकर विपक्षीगण के नाम से हटा कर वापस विपक्षीगण के नाम पर दर्ज कराना कानूनन आवश्यक हो गया है :-

आराजी नम्बर –	रकबा
1062	01 एक बीघा 01 एक बिस्वा,
1097	00 बीघा 08 आठ बिस्वा
1082	00 बीघा 03 तीन बिस्वा
कुल किता 03 तीन	कुल रकबा 04 चार बीघा 09 बिस्वा

इस प्रकार राजस्व ग्राम पुर मजरा बलियाखेड़ा के हाल आराजी नम्बर 1062, 1097, 1082 को राजस्व रेकॉर्ड में से विपक्षी संख्या 01 एवं विपक्षी संख्या 02 से 07 के स्व० पिता श्री ललित प्रसाद जी एवं विपक्षी संख्या 08 से 10 के नाम से हटा कर प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने को कहा तो व इंकार हो गये।

उक्त वाद विपक्षीगण के विरूद्ध विचाराधीन था इसके बावजुद भी विपक्षी संख्या 01 ने दौराने वाद अपने नाम पर दर्ज हक हिस्सा की भूमि को विपक्षी संख्या 03 भूमि विकास बैंक शाखा भीलवाडा के रहन रख कर ऋण प्राप्त कर लिया और उक्त भूमि को ऋण से भारित की है व उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 01 ने अपनी अन्य भूमि के साथ रहन कर दी व ऋण प्राप्त कर लिया किन्तु ऋण का भुगतान नहीं किया जिससे विपक्षी संख्या 03 भूमि विकास बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विपक्षी संख्या 01 की अन्य भूमि के साथ वादीगण/प्रार्थीगण के हक व अधिकार की कृषि आराजी नम्बर 1062, 1097, 1082 कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा को भी निलाम करने की प्रक्रिया की जा रही है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 28/12/2020 को निलामी की घोषणा की जानकारी 23/12/2020 को मिली जानकारी होते ही वादीगण/प्रार्थीगण ने मूलवाद पत्र की प्रतियां व विचाराधिन प्रकरण की ऑर्डरशीट की प्रतियां विपक्षी संख्या 03 के यहां प्रस्तुत कर दी व प्राप्ति रसीद दिनांक 24/12/2020 को प्राप्त कर ली किन्तु उन्होंने 7 दिन में स्थगन आदेश प्रस्तुत करने की हिदायत दी है इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

26/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है चुकि विवादित भूमि प्रार्थीगण के हक अधिकार व स्वामित्व की है जो कि पूर्वजों के नाम एक ही मिलने से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हुई है जिससे दुरस्ती का वाद विचाराधिन है किन्तु विपक्षी संख्या 01 द्वारा रहन कर दी व उसके आधार पर विपक्षी संख्या 03 भूमि विकास बैंक आदि भीलवाड़ा द्वारा निलाम करने की व आगे विक्रय की कार्यवाही की जा रही है जिस पर रोक लगाई जाना आवश्यक है अन्यथा वादीगण/प्रार्थीगण ने जो अनुतोष चाहा वह निष्फल हो जायेगा व प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेगा विपक्षी संख्या 03 के ऋण की वसूली प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1062, 1097, 1082 को छोड़ कर शेष रही भूमि से से भी की जा सकती है इसलिए विपक्षी संख्या 03 भूमि विकास बैंक को किसी प्रकार की हानि व नुकसान होने की कोई सम्भावना नहीं है अतः मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी फरमाई जावें कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1062, 1097, 1082 कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि की विपक्षी संख्या 02 भूमि विकास बैंक निलामी नही करे अन्तरित नही करे व विपक्षी संख्या 01 से 03 व 04 रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखें व दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे।

विपक्षीगण के जारी सम्मन/नोटिस बाद तामील दिनांक 18.01.2021 को प्राप्त हुए। विपक्षी संख्या 01, 03 व 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.03.2025 को लाई गई। विपक्षी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब बंद किया गया एवं प्रार्थी अधिवक्ता की एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सम्वत् 1991 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी। मेवाड़ रियासत के समय सम्वत् 1991 के उपरान्त सम्वत् 2009 के राजस्व रिकॉर्ड तैयार किये गये। जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वजों के हगनाम ग्राम पुर में अन्य व्यक्ति होने से प्रार्थीगण के पूर्वजों की विरासत का इंतकाल दर्ज किया जाकर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दी गई जो बाद में जरिये विरासत अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा रहन रखी गई भूमि का बेचान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी किये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि की अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड की प्रति पेश की। पेरोकार सरकार द्वारा ग्राम पुर की सम्वत् 2069-73 जमाबन्दी 2077 खाता संख्या 712 की जमाबन्दी पेश करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1062, 1082, 1097 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में रहन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की अद्यतन जमाबन्दी का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1062, 1082 व 1097 कुल किता 03 कुल रकबा 1.1254 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में रहन दर्ज नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पुर की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1062, 1082, 1097 कुल किता 03 कुल रकबा 1.1254 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में रहन नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष दिये जाने का प्रथम दृष्टया कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतएवं

26/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

: आदेश :

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

26/6/15

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा